UPBG010051902022

न्यायालय : अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–04, बागपत।

पीठासीन अधिकारी– (सुशील कुमार III), (उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06284

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या :–2023/2022
कम्पयूटर नम्बर :–2401/2022

1. आस मौहम्मद पुत्र यामीन निवासी ग्राम कहरका थाना चांदीनगर जिला बागपत।

... .प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उ०प्र० राज्य ... ...अभियोजक।

मु.अ.सं.–119/2022
धारा–380, 411 भा०दं०सं०
थाना–बालैनी, जिला–बागपत।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त आस मौहम्मद ओर से यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र उपरोक्त प्रकरण के संबंध में प्रस्तुत किया गया है। जो माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेश से स्थानान्तरण उपरान्त सुनवायी हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। अभियुक्त द्वारा अपने जमानत प्रार्थनापत्र के साथ अपनी पैरोकार नफीसा का शपथपत्र प्रस्तुत करते हुये यह कहा गया है कि अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। अन्य कोई प्रार्थनापत्र किसी भी अन्य न्यायालय में लम्बित नहीं है।

सुना तथा केस डायरी का अवलोकन किया गया।

संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा द्वारा थाने पर तहरीर दी गयी कि दिनांक 22/228/2022 की रात चार हथियारों से लैस बदमाश ने घर में घुसकर रात के 01:40 बजे चोरी की वारदात की। जिसमें घर में अकेले बच्चे ही थे। चोरी हुए सामान में दो जोड़ी सोने के कुन्डल, एक सोने की अंगूठी जेन्टस, एक सोने की अंगूठी लेडीज, एक सोने की नथ, पांच जोडी चांदी की पायल, छः जोड़ी बिच्छवे और तीस हजार रूपये नकद कैस, दो फोन एक स्मार्ट, एक किपैड, पांच चांदी के बर्तन, एक डिनर सैट चोरी हुए। अभियोजन के अनुसार दौरान विवेचना दिनांक 14/09/2022 को अभियुक्तगण को गिरफतार किए जाने पर उसमें से कुछ सामान अभियुक्तगण से बरामद होना अभियोजन द्वारा कहा गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि वह निर्दोष हैं तथा उसे तथाकथित केस में गांव की पार्टीबाजी के आधार पर झूंठा फंसाया गया है। अभियुक्त ने किसी प्रकार की कोई चोरी नहीं की है। अभियुक्त के खिलाफ कोई नामजद एफ०आई०आर० नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट देरी से दर्ज करायी गयी है तथा देरी का कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियुक्त से कोई चोरी की वस्तु बरामद नहीं हुई है जो भी बरामदगी दिखायी गयी है वह झूंठी दिखायी गयी है। अभियुक्त पूर्व सजायाफता नहीं है। अभियुक्त दिनांक 15/09/2022 से जेल में निरूद्ध है। सहअभियुक्तगण मोईन व इमरान उर्फ मन्नू की जमानत न्यायालय से दिनांक 29/09/2022 को स्वीकार की जा चुकी है। अतः अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाए।

अभियोजन की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त करने

Digitally signed by SUSHIL KUMAR III
Date: 2022.11.01 15:52:59 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

की याचना की गयी है।

केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अभियुक्त पर यह आक्षेप है कि अभियुक्त द्वारा सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी के घर में घुसकर सामान चोरी किया गया है। अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं है। मामला अधिकतम 7 वर्ष के कारावास से दण्डनीय अपराध से संबंधित है। अभियुक्त दिनांक 15/09/2022 से इस मामले में जेल में हैं। मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। प्रस्तुत प्रकरण के अलावा अभियुक्त का पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास होना अभियोजन की ओर से नहीं कहा गया है। प्रस्तुत प्रकरण के सहअभियुक्तगण मोईन व इमरान उर्फ मन्नू व आकाश त्यागी की जमानत न्यायालय से दिनांक 29/09/2022 को स्वीकार की जा चुकी है। अतः मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों, केस डायरी पर उपलब्ध साक्ष्य की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुण दोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकृत होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त आस मौहम्मद का प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा अंकन 50,000/– रूपये (पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान राशि की दो विश्वनीय प्रतिभू निष्पादित करने पर संबंधित न्यायालय की संतुष्टि अनुसार निम्न शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जाये–

1– प्रार्थी/अभियुक्त विवेचना/विचारण की कार्यवाही में पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा।

2– प्रार्थी/अभियुक्त गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा।

3– जमानत पर छूटने के उपरान्त प्रार्थी/अभियुक्त आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं होगा।

<u>दिनाँक : 01/11/2022</u>

(सुशील कुमार III)
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–04, बागपत।